BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH
AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1328/2024

IN THE MATTER OF:

ALEEM ……APPLICANT

Versus

MoEF & CC & Ors. ……RESPONDENT

INDEX

S. No.	Particulars of documents	Annexure No.	Page No.
1.	Submission of Resp. No. 5 Along with Affidavit		1-5
2.	Rejection order passed by CTO Dated 03/03/2025	1	6-7
3.	Partnership Deed along with other relevant documents	2	8-22
4.	Brick Klin Clouser Order Dated 15/01/2025	3	23-24
5.	Application be Deponent for re-opening of Brick Klin	4	25-32
6.	Vakalatnama	5	33

Through

Counsel

Pranav Kumar Srivastava
(Advocate)
Add: A-123, 2nd Floor, Phase-II.
Ashok Vihar, Delhi-110052
Mob: +91 9818760063
E-mail:pranav.kumar.srivastava.law@gmail.com

Date: 25/03/2025
Place: New Delhi

NOTARIAL NOTARIAL GOVT. OF INDIA NOTARY

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
Original Application No. 1328/2024

IN THE MATTER OF:

Aleem .... Applicant

Versus

MoEF & CC & Ors. .... Respondents

SUBMISSION ON BEHALF OF RESPONDENT NO.5, M/S GANGA BRICKS FIELD NOW NAMED AS M/S KISAN BRICKS FIELD BY ITS PARTNER MURSALIN

I, Mursalin, aged about 55 years , S/o Barkat, R/o Village Shekhpur, Mujahidpur, PS – Fatehpur, Tehsil – Behat, Shekhpur, Mazdipur Must Saharanpur, Muzaffarabad, Uttar Pradesh – 247129, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That I am one of the partner of M/S Ganga Bricks Field, I am fully acquainted with the facts and circumstances of the case, as such I am competent to swear this affidavit.
2. That I came to know about the above noted case only 5-6 days back, when I came to meet my Counsel at Baghpat, Mr. Lalit Singh Nahar, Advocate, to understand the contents of order dated 03.03.2025, rejecting my application regarding Consolidated Consent To Operate, wherefrom he

informed that one of the reason of rejection of my application was mentioned as pendency of the above noted case before this Hon'ble Court. A copy of the said rejection order dated 03.03.2025 is being annexed herewith as **Annexure No.1** to this affidavit.

3. That I had no knowledge of the pendency of the above noted case or the orders passed in it prior to the above mentioned event.
4. That apparently the notice must have been sent to Murad Ali, who went to Dubai and is not a partner with the firm anymore and no one from his remaining family informed the deponent about the notice, if received by them. As such the deponent could not come to know regarding the OA No.1328/2024 nor its contents and nor the orders passed in it.
5. That, as a matter of fact, after Murad Ali left for Dubai, the firm was reconstituted and M/S Ganga Bricks Field was renamed as M/S Kisan Bricks Field and the deponent is in partnership in this firm with Sarfaraaz. However, the entire affair of the firm is catered to by the deponent. A copy of the partnership deed of M/S Kisan Bricks Field is being annexed herewith as **Annexure No.2** to this affidavit.
6. That thereafter, I requested my Counsel above named to do the needful in this matter, who got me in touch with Mr. Pranav Kumar Srivastava, Advocate, who agreed to present my case before this Hon'ble Tribunal.
7. That in view of the above, the present affidavit could not be filed within time as directed in the order dated 03.12.2024.

8. That in view of the facts and circumstances, the deponent bows down before this Hon'ble Tribunal asking for forgiveness in being unable to keep tabs with the developments regarding his firm beyond its activities and further prays that the submissions of the deponent may taken on record for the purposes of this case. The deponent shall submit his reply to the present OA No.1328/2024 and other applications, if it is so directed by this Hon'ble Tribunal.
9. That the brick kiln run by the deponent was closed down under the orders of the Uttar Pradesh Pollution Control Board on 15.01.2025. A copy of the closure order is being annexed herewith as **Annexure No.3** to this affidavit.
10. That it is pertinent to mention here that even then the deponent did not come to know about the present OA and the order passed in it.
11. That soon after the brick kiln run by the deponent was shut down, he started making efforts to get it open and running again. As such he made various applications to several authorities, but it bore no fruit until now. Copies of the applications made by the deponent before several authorities are being collectively annexed herewith as **Annexure No.4** to this affidavit.
12. That as far as the applicant's grievance before this Hon'ble Tribunal is concerned, the deponent has no idea regarding the same, as such he cannot submit anything in respect thereof.

मुरसलीन

13. That the deponent submits with profound respect that if he is allowed to run his brick kiln again he shall strictly adhere to the environmental norms prescribed in law.

14. That deponent bows down before this Hon'ble Tribunal and prays to let him run the brick kiln, which if he is so allowed, he shall obey all the directions issued by this Hon'ble Tribunal, without any let or hindrance.

15. That the present affidavit has been prepared by my Counsel on the basis of the instructions given by me to him as well as on the basis of the documents given by me to him for the purpose of the present case/affidavit.

16. That the contents of this affidavit and the accompanying annexures have been read over and explained to me in my vernacular (Hindi) and I have understood the same.

NOTARY GOVT. OF INDIA

17. That the contents of this affidavit are based upon my personal knowledge and records available to me.

18. That the contents of this affidavit are correct and true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

DEPONENT

मुरसलीन

VERIFICATION

I the deponent above named do hereby verify that the contents of the accompanying affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at ......25 – 3 –...... on .... Day of March. 2025.

DEPONENT

मुरसलीन

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★ Ashok Kumar Advocate & Notary Tehsil Behat Distt. Saharanpur Reg. No. 10845/14

ATTESTED 25/3/2025
ASHOK KUMAR
Advocate & Notary
Tehsil. Behat
Distt Saharanpur
Reg. NO 10845/1

Annexure No-1

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Application Id : 30353418
Dated : 03/03/2025

Category : ORANGE
Ref No. - 232698/UPPCB/Saharanpur(UPPCBRO)/CTO/both/SAHARANPUR/ 2025

To ,

M/S MURSLIN
MS KISAAN BRICK FIELD OLD NAME GANGA BRICKS FIELD
VILLAGE CHAUPUR , MUZAFFARABAD , TEHSIL - BEHAT , DISTT - SAHARANPUR,SAHARANPUR,247129
SAHARANPUR

Sub : Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016.

Kindly refer to your Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) application dated 04/02/2025 and received on 04/02/2025under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules, 2016. Your application and the information submitted by you have been examined along with the facts found during inspection made by officers of UPPCB on 03/03/2025 . Your consent application is hereby refused due to following reason.

Reasons :-

The closure order u/s 31 (A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 has been issued against the brick kiln by the Board vide letter no. H21972/C-3/Vayu-7652/Saha/24 dt. 30.12.2024 and is still affective. Also an O.A. no. 1328/2024 has been filed by Mr. Aleem before Hon'ble NGT, New Delhi and is under process.

The Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016 is hereby refused. Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act 1974, Air Act 1981 and HWM Rules 2016

Yogender Digitally signed by Yogender Kumar

This order is issued with the approval of competent authority.

Yogender Kumar

Digitally signed by Yogender Kumar
Date: 2025.03.03 17:14:24 +05'30'

(Authorized Signatory)

YOGENDER KUMAR
REGIONAL OFFICER

Copy To -

YOGENDER KUMAR
REGIONAL OFFICER
(Authorized Signatory)

INDIA NON JUDICIAL

ANNEXURE-2 122

IN-UP03165521332008V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

8

₹750

Certificate No.	:	IN-UP03165521332008V
Certificate Issued Date	:	01-Sep-2023 05:17 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14182204/ SAHARANPUR SADAR/ UP-SHR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP141822040190652501163V
Purchased by	:	KISAAN BRICK FIELD
Description of Document	:	Article 46 Patnership
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	KISAAN BRICK FIELD
Second Party	:	KISAAN BRICK FIELD
Stamp Duty Paid By	:	KISAAN BRICK FIELD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

सत्यमेव जयते

₹750

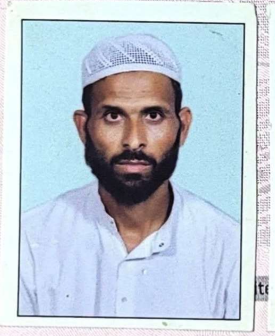

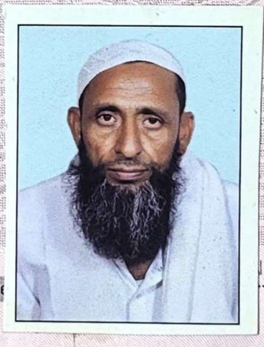

NOTARY Vijay Kumar Advocate & Notary Saharanpur GOVT. OF INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

IN-UP03165521332008V

PARTNERSHIP DEED

This Deed of Partnership is made on 01st Day of September, 2023 between:

1. Mr. MURSLIN S/o Sh BARKATE R/o Village Shekhupur Muzahidpur, Thana Fatehpur, Tehsil Behat, Saharanpur - 247129 Uttar Pradesh PAN DLGPM1031M (herein after called the first party)

2. Mr. SARFARAJ S/O SH KURBAAN R/o Village Shekhupur Muzahidpur, Thana Fatehpur, Tehsil Behat, Saharanpur - 247129 Uttar Pradesh PAN HDAPS6120P (herein after called the second party)

मुरसलीन सरफराज

PU 0007273702

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Which expressions shall in[illegible], executors, administrators and the representatives of the respect[illegible]

WHEREAS the parties of this de[illegible]e entered in to an agreement to form a partnership firm in the name and style as **KISAAN BRICK FIELD** to running a business of Manufacturing of Bricks and other subsidiary work. They have become partners with effect from 01.09.2023. The said parties have further agreed to execute a deed of partnership in order to avoid any dispute in future and to define the rights, relations and obligations of the parties inter-se and with that end in view thereby they have decided to execute this deed of partnership containing the terms and conditions on which the partnership business shall be carried on.

Now this deed of partnership witnesses as under :-

1. NAME

   That the business of the firm shall be carried on under the name and style of **KISAAN BRICK FIELD** with its principal place of business at Khasra No 471 & 531 A, Village Chaupur, Paragana Muzaffarabad, Tehsil Behat, Distt Saharanpur -247129 (U.P.).

2. BUSINESS AND PLACE

   That the business of partnership shall be to running a business of Manufacturing of Bricks and other subsidiary work or as may be mutually agreed upon by and between the parties from time to time and shall be carried on at its principal place of business at Khasra No 471 & 531 A, Village Chaupur, Paragana Muzaffarabad, Tehsil Behat, Distt Saharanpur -247129 (U.P.) or at such other place as may be agreed upon between the parties.

3. COMMENCEMENT OF BUSINESS

   That the terms of this deed shall be deemed to have come into force with effect from 01ST September, 2023 and shall govern the mutual relations of the parties.

NOTARY Vijay Kumar Advocate & Notary Saharanpur (U.P.) R. No.-9510/12 GOVT. OF INDIA

4. KIND OF PARTNERSHIP

That the partnership shall be a partnership AT WILL

5. FINANCIAL ASSISTANCE

That firm may take loan from banks, financial institutions and from outside parties in the name of the firm.

6. BANK ACCOUNT

That the Bank account of the firm shall be opened in any scheduled/ nationalized/Private Bank and shall be operated by all the parties to this deed jointly or some of the parties as decided or as may be mutually decided by the partners from time to time.

7. INTEREST

That the partners will be paid simple interest subject to @ 12% p.a. or any other rate as provided by Income Tax Act,1961 on the capital contributed by them or any loan advanced by them to the firm or any deposit by them with the firm or any amount of share in the profit of the firm standing to their credit in the firm's account at the closure of accounting year. However in the case of loss or lower income, rate of interest can be nil or lower than 12% as may be agreed to by and between the partners from time to time.

NOTARY
Vijay Kumar
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
R. No.-9510/12
GOVT. OF INDIA

8. REMUNERATION

That Mr. MURSLIN & Mr. SARFARAJ are hereby authorized to charge remuneration Rs.6000/- per month each being working partner within the permissible limit as provided U/s.40(b)(v) of Income Tax Act,1961.

9. FINAL ACCOUNT

The regular books of account of partnership business shall be kept and maintained on the method convenient to the nature of trade at the principal place of business and such books shall be opened for inspection by any of the partners or their authorized representative at all reasonable hours. That the said books of account

मुरसलीन सरफराज

shall be closed at every 31st day of March each year and profit or loss shall be determined and divided between the partners.

10. CAPITAL

That the initial capital of the firm shall be subscribed in accordance with the need of business as partners think fit from time to time and the amount so subscribed shall be credited in partner's capital account in the books of the firm.

11. PROFIT RATIO

That the profit or loss of the partnership business after providing all expenses incidental to the business shall be divided between them in the following ratio: -

(a) Mr MURSLIN	50%
(b) Mr. SARFARAJ	50%

12. In case of death of any of the parties, the firm shall not come to an end but it shall be continued and the legal heir shall become member in the firm in respect of the share of deceased.

NOTARY
Vijay Kumar
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
R. No.-9510/12
GOVT. OF INDIA

13. That in event of dispute between the partners with regard to anything related to the partnership business, the matter shall be referred to the Arbitrator to be appointed as per mutual decision, under the provisions of the Indian Arbitration Act than in force.

14. That none of the party shall transfer his share to any other person without the consent of the other parties. In the event of insanity of any of the partners, one member of her family shall be taken in place of her as partner as be decided and communicated in writing by the first family members of such partner.

15. That in all other matters on which this deed does not contain any specific provisions, the provisions of Indian Partnership Act, 1932 shall apply.

मुरसलीन सरफराज

16. That all or any of the terms and conditions of this deed may be modified, altered or varied and any new terms and conditions may be added to by the mutual consent of the parties hereto, to be expressed either in writing or orally or implied from conduct.

NOTARY
Vijay Kumar
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Regd. No.-9510/12
GOVT. OF INDIA

In witness whereof the parties to bind themselves, their legal heirs and successors have put their respective hands and seals by signing on each paper on the day, the month and the year first mentioned.

Identified by

WITNESS :

SIGNATURE OF PARTNERS

1. जुनैद
सौनोप अब्बासि
7876155350

मुरसलीन
(MURSLIN)

2. फरमान
२ अनवार
दिलशाद
9719039161

सरफराज
(SARFARAJ)

Attested
Vijay Kumar
NOTARY
Saharanpur

भारत सरकार
Government of India

आधार

भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 0229/05008/00573

To
मुरसलीन
Murslin
S/O: Barkat,
Village-Shekhapur Muzaffarpur,
Thana-Fatehpur, Tehsil-Behat,
VTC: Shekhpur Muzafpur Mus...,
PO: Muzaffrabad,
Sub District: Behat,
District: Saharanpur,
State: Uttar Pradesh,
PIN Code: 247129,
Mobile: 9627942513

Signature Not Verified

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

XXXX XXXX 7740

VID : 9102 7507 2217 3688

मेरा आधार, मेरी पहचान

Government of India

AADHAAR

सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनियमों में विनिर्दिष्ट जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज़ पर आधारित है।
- इस आधार पत्र को यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या ऐप स्टोर में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप या www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर ऐप का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है।
- पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेजों को आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष में कम से कम एक बार आधार में अपडेट कराना चाहिए।
- आधार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी लाभ/सेवाएं प्राप्त करने में सहायता करता है।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें।
- आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें।
- आधार/बायोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आधार/बायोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक सुविधा का उपयोग करें।
- आधार की मांग करने वाली संस्थाएं सहमति लेने के लिए बाध्य हैं।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder.
- This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI-appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on www.uidai.gov.in.
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.

भारत सरकार
Government of India

आधार

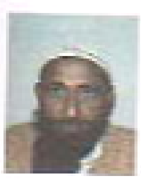

मुरसलीन
Murslin
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1970
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML).

XXXX XXXX 7740

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

AADHAAR

पता:
...
उत्तर प्रदेश - 247129

Address:
S/O: Barkat, Village-Shekhapur Muzaffarpur, Thana-Fatehpur, Tehsil-Behat, Shekhpur Mazafpur Mus.., PO: Muzaffrabad, DIST: Saharanpur, Uttar Pradesh - 247129

XXXX XXXX 7740

VID : 9102 7507 2217 3688

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

मुरसलीन

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card
DLGPM1031M
MURSLIN
BARKATE
01/01/1970

मुरसलीन

Permanent Account Number - DLGPM1031
NAME - MURSLIN
FATHER'S NAME - BARKATE
DATE OF BIRTH - 01/01/1970

TRUE COPY

भारत सरकार

आधार

भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 2988/66163/10956

To
सरफराज
Sarfaraj
S/O: Kurban,
Village-Shekhupur-Muzahidpur,
Thana-Fatehpur, Tehsil-Behat,
VTC: Shekhpur Manjhpur Must.,
PO: Muzaffrabad,
Sub District: Behat,
District: Saharanpur,
State: Uttar Pradesh,
PIN Code: 247129,
Mobile: 9758645771

Signature Not Verified

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

XXXX XXXX 9979
VID : 9129 2185 6643 1776

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार
Government of India

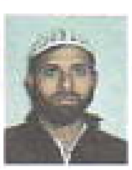

सरफराज
Sarfaraj
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1987
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/ ऑफलाइन एक्सएमएल की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML).

XXXX XXXX 9979

मेरा आधार, मेरी पहचान

Government of India

AADHAAR

सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनियमों में विनिर्दिष्ट जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है।
- इस आधार पत्र को यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या ऐप स्टोर में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके या www.uidai.gov.in. पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है।
- पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेजों को आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष में कम से कम एक बार आधार में अपडेट कराना चाहिए।
- आधार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कल्याणकारी योजनाओं/सेवाओं का लाभ लेने में सहायता करता है।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें।
- आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें।
- आधार/बायोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधार/बायोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक सुविधा का उपयोग करें।
- आधार की मांग करने वाले सहमति लेने के लिए बाध्य हैं।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder.
- This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on www.uidai.gov.in.
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

AADHAAR

पता:
आत्मज: कुर्बान, ग्राम शेखूपुर मुजाहिदपुर, थाना-फतेहपुर, तहसील-बेहट, शेखपुर मंझिदपुर मुस्त, मुजफ्फराबाद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश - 247129

Address:
S/O: Kurban, Village-Shekhupur-Muzahidpur, Thana-Fatehpur, Tehsil-Behat, Shekhpur Manjhpur Must., PO: Muzaffrabad, DIST: Saharanpur, Uttar Pradesh - 247129

XXXX XXXX 9979
VID : 9129 2185 6643 1776

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

सरफराज

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
SARFARAJ
KURBAAN
01/01/1987
Permanent Account Number
HDAPS6120P
Signature

सरफराज

PERMANENT ACCOUNT NUMBER - HDAPS6120P
NAME - SARFARAJ
FATHER'S NAME - KURBAAN
DATE OF BIRTH - 01/01/1987

TRUE COPY

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
Permanent Account Number Card
ABAFK9548E
KISAAN BRICK FIELD
01/08/2023

मुरसलीन सरफराज

PERMANENT ACCOUNT NUMBER - ABAFK9548E
NAME - KISAAN BRICK FIELD
DATE OF INCORPORATION - 01/02/2023

TRUE COPY

ORIGINAL

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09ABAFK9548E1Z3

1.	Legal Name	KISAAN BRICK FIELD			
2.	Trade Name, if any	KISAAN BRICK FIELD			
3.	Additional trade names, if any				
4.	Constitution of Business	Partnership			
5.	Address of Principal Place of Business	**Building No./Flat No.:** Khasra No 471 And 531 A **Name Of Premises/Building:** Tehsil Behat **Road/Street:** Paragana Muzaffarabad **City/Town/Village:** Chawapur **District:** Saharanpur **State:** Uttar Pradesh **PIN Code:** 247129			
6.	Date of Liability				
7.	Period of Validity	From	14/10/2024	To	Not Applicable
8.	Type of Registration	Regular			
9.	Particulars of Approving	Centre			

Signature

Signature valid
Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK 15
Date: 2024.10.14 15:30:17 IST

Name	SANJAY KUMAR MISHRA
Designation	Superintendent
Jurisdictional Office	MEERUT
Date of issue of Certificate	14/10/2024

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 14/10/2024 by the jurisdictional authority.

मुरसलीन सरफराज

ORIGINAL

Annexure A

Goods and Services Tax Identification Number: 09AEAFK9548E1Z3

Details of Additional Place of Business(s)

Legal Name	KISAAN BRICK FIELD
Trade Name, if any	KISAAN BRICK FIELD

Total Number of Additional Places of Business in the State 0

Goods and Services Tax

सरफराज

मुरसलीन

ORIGINAL

Annexure B

Goods and Services Tax Identification Number: 09ABAFK9548E1Z3

Legal Name	KISAAN BRICK FIELD
Trade Name, if any	KISAAN BRICK FIELD

Details of Managing / Authorized Partners

1		Name	MURSLIN
		Designation/Status	PARTNER
		Resident of State	Uttar Pradesh
2		Name	SARFARAJ
		Designation/Status	PARTNER
		Resident of State	Uttar Pradesh

Goods and Services Tax

सरफराज

मुरसलीन

कोषागार प्रपत्र सं0–279 (A) (संशोधित)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–2

प्रपत्र संख्या–43ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 476 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

	उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा	भारतीय स्टेट बैंक शाखा सहारनपुर
1	जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम एवं पता	मैसर्स किसान ब्रिक फील्ड ग्राम चाऊपुर मुजफ्फाराबाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर। प्रो0/पा0 श्री मुरसलीन पुत्र श्री बरकत निवासी ग्राम शेखुपुरा गुजाहिदपुर तहसील बेहट जिला सहारनपुर। मो0 नं0 9627942573
2	पंजीकरण संख्या / पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)	पायों की संख्या–16 (जिगजैग) वर्ष 2024–25
3	जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)	विनियमन शुल्क – 2,55,960/– पलोशन शुल्क – 25,596/– अनुज्ञा शुल्क – 2,000/–
4	जमा की जा रही धनराशि	कुल– 2,83,556/–
5	लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण / मुहर	0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग 00- 102-खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क 01-खनिज रियासत शुल्क किराया स्वत्व शुल्क
6	लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड	

मुख्य लेखाशीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि अंकों में
0 8 5 3	0 0	1 0 2	0 1	0 0	2,83,556/–
					/
					/

धनराशि (शब्दों में) रू0 दो लाख तेरांसी हजार पांच सौ छप्पन मात्र   योग रू0 2,83,556/–

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

(मुहर: कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) सहारनपुर)

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

K479949

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ
चालान संख्या ....
दिनांक ....

अंकों में रू0
शब्दों में रू0

(मुहर: भारतीय स्टेट बैंक, SBI ... सहारनपुर (0710) 4 NOV 2024 R.S. RAWAT PF 5367417 Maker Checker)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

प्राप्त किया।
उपकोषागार / बैंक की मुहर

Annexure No. 3

बन्दी आदेश का अनुपालन

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एच21972सी–3/वायु 762/सहा–124 दिनांक–30.12.2024 के द्वारा मैसर्स किसान ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम मै0 गंगा ब्रिक फील्ड), ग्राम चाउपुर, परगना–मुजफ्फराबाद, तहसील–बेहट, जनपद–सहारनपुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये है। बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्रांक–884/C/SRE/G-11/2025 दिनांक–09.01.2025 द्वारा समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा भट्टा प्रतिनिधि की उपस्थिति में बन्दी आदेश के अनुपालन में आज दिनांक– 15.1.2025 को मैसर्स किसान ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम मै0 गंगा ब्रिक फील्ड), ग्राम चाउपुर, परगना–मुजफ्फराबाद, तहसील–बेहट, जनपद–सहारनपुर की बन्दी सुनिश्चित करायी गयी।

भट्टे की बन्दी की कार्यवाही के दौरान निम्न इकाईयां सील की गयीः–

1. भट्टे के संलग्न I.D फैन
2. I.D फैन चलाने वाले दो नग इंजन
3. —
4. —

ब्रिक फील्ड प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर– मुरसलीन (पार्टनर)
15/1/2025
9627942513

समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर– (सचिन रावत) लेखपाल बेहट   (अमर सिंह) राजस्व निरीक्षक मुजफ्फराबाद

~~सील सुपुर्दगी–~~ सुपुर्दगी

(धर्मवीर सिंह) A.S.I फतेहपुर सहारनपुर   (धर्मेन्द्र सिंह) S.H.O. फतेहपुर   (जे॰ एन॰ तिवारी) A.E.E U.P.P.C.B.S

थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को बन्दी आदेश का अनुपालन बनाये रखने हेतु व सील सुरक्षा हेतु सुपुर्द किया।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H04878/सी–3/वायु-762/...सहारनपुर/2023 दिनांक 15-12-2023

सेवा मे,

मै० गंगा ब्रिक फिल्ड,
ग्राम-चाउपुर, परगना मुजफ्फराबाद,
जनपद-सहारनपुर।

यह कि मै० गंगा ब्रिक फिल्ड, ग्राम-चाउपुर, परगना मुजफ्फराबाद, जनपद-सहारनपुर के द्वारा मिट्टी, पानी एवं कोयले का उपयोग कर ईंटो का उत्पादन करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै० गंगा ब्रिक फिल्ड, ग्राम-चाउपुर, परगना मुजफ्फराबाद, जनपद-सहारनपुर का स्थल निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय सहारनपुर दिनांक 29.11.2023 को किया गया निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा परिसर में प्रतिबन्धित ईंधन के रूप में लकड़ी भण्डारित पायी गयी। उक्त के अतिरिक्त ईंट भट्ठा परिसर में कार्बन भण्डारित पाया गया। जोकि प्रतिबन्धित ईंधन है। जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जिसके संबंध में जनशिकायत प्राप्त हुई है। ईंट भट्ठा में फ्लू गैस उत्सर्जन का नमूना एकत्र करने हेतु चिमनी पर बोर्ड मानको के अनुरूप, पोर्ट हॉल, प्लेटफार्म, व लैडर का निर्माण नही किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यो के दृष्टिगत मै० गंगा ब्रिक फिल्ड, ग्राम-चाउपुर, परगना मुजफ्फराबाद, जनपद-सहारनपुर वायु प्रदूषण के कारण जनस्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जन हित में एवं जनमानस को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियो के अनुसरण मे ईंट भट्ठे के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए ईंट भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियो के अधीन मै० गंगा ब्रिक फिल्ड, ग्राम-चाउपुर, परगना मुजफ्फराबाद, जनपद-सहारनपुर के विरूद्ध निम्नलिखित कारण-बताओ-नोटिस जारी किया जाता है:-

1- यह कि क्यो न मै० गंगा ब्रिक फिल्ड, ग्राम-चाउपुर, परगना मुजफ्फराबाद, जनपद-सहारनपुर की उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी जाये।

2- यह कि क्यो न मै० गंगा ब्रिक फिल्ड, ग्राम-चाउपुर, परगना मुजफ्फराबाद, जनपद-सहारनपुर को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति के विच्छेदन सहित अन्य सुविधाओ जैसे कोयले की आपूर्ति, खनन की अनुमति, पानी की आपूर्ति, जिला परिषद की अनुमति आदि को निरस्त कर बन्द कर देवें।

उपरोक्त के संबंध में अपना पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्दर प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशो की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत-3

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1- जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2- प्रभारी अधिकारी खनन जनपद सहारनपुर।
3- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत जनपद सहारनपुर।
4- मुख्य पर्यावरण अधिकारी डब्लू.एम.डी.-1/2, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5- क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशो के अनुपालन के संबंध में ईंट भट्ठे का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H04278/सी-3/वायु-762/सहारनपुर/2023 दिनांक: 15/12/2023

सेवा में, पत्र संख्या: 745

मै० गंगा ब्रिक फिल्ड, दिनांक: 19/12/2023

ग्राम-चाउपुर, परगना मुजफ्फराबाद, वर्ग: G-11

जनपद-सहारनपुर।

यह कि मै० गंगा ब्रिक फिल्ड, ग्राम-चाउपुर, परगना मुजफ्फराबाद, जनपद-सहारनपुर के द्वारा मिट्टी, पानी एवं कोयले का उपयोग कर ईटों का उत्पादन करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि यह कि मै० गंगा ब्रिक फिल्ड, ग्राम-चाउपुर, परगना मुजफ्फराबाद, जनपद-सहारनपुर का स्थल निरिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय सहारनपुर दिनांक 29.11.2023 को किया गया निरिक्षण के समय ईट भट्ठा परिसर में प्रतिबंधित ईंधन के रूप में लकड़ी भंडारित पायी गई। उक्त के अतिरिक्त ईंट भट्ठा में कार्बन भंडारित पाया गया जोकि प्रतिबंधित ईंधन है जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जिसके संबंध में जन शिकायत प्राप्त हुई है। ईंट भट्ठा में फ्लू गैस उत्सर्जन का नमूना एकत्र करने हेतु चिमनी पर बोर्ड मानकों के अनुरूप, कोर्ट हॉल, प्लेटफार्म, व लैडर का निर्माण नहीं किया गया है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मै० गंगा ब्रिक फिल्ड, ग्राम-चाउपुर, परगना मुजफ्फराबाद, जनपद-सहारनपुर वायु प्रदूषण के कारण जन स्वास्थय पर संभावित दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनहित में एवं जनमानस को स्वस्थय पर्यावरण प्रदान करने के उद्देशय राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के आधीन मै० गंगा ब्रिक फिल्ड, ग्राम-चाउपुर, परगना मुजफ्फराबाद, जनपद-सहारनपुर के विरुद्ध निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1- यह कि क्यों न मै० गंगा ब्रिक फिल्ड, ग्राम-चाउपुर, परगना मुजफ्फराबाद, जनपद-सहारनपुर की उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाए।

2- यह कि क्यों न मै० गंगा ब्रिक फिल्ड, ग्राम-चाउपुर, परगना मुजफ्फराबाद, जनपद-सहारनपुर को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति के विच्छेदन सहित अन्य सुविधाओ जैसे कोयले की आपूर्ति, खनन की अनुमति, पानी की आपूर्ति, जिला परिषद की अनुमति आदि को निरस्त कर बंद कर देवे।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशो की पुष्टि दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-3

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. प्रभारी अधिकारी खनन, जनपद सहारनपुर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत जनपद सहारनपुर।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी डब्लू. एम. डी.-1/2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशो के अनुपालन के सम्बन्ध में ईंट भट्ठे का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-3

TRUE COPY

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP58797292436956X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP58797292436956X
Certificate Issued Date	: 21-Jan-2025 03:30 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14419204/ SAHARANPUR SADAR/ UP-SHR
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1441920414635164153939X
Purchased by	: MURSLIN SO BARKATE
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: MURSLIN SO BARKATE
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: MURSLIN SO BARKATE
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

NOTARY JAMSHED ALI Advocate & Notary Distt. Saharanpur (U.P.) Reg. No. NOTARIAL GOVT. OF INDIA

₹100

IN-UP58797292436956X

Please write or type below this line

शपथ पत्र

समक्ष– श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर

शपथ पत्र और से– मुर्सलीन पुत्र बरकत निवासी ग्राम शेखुपुर मुजाहिदपुर परगना मु0बाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर।

1– मै शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मेरा नाम मुर्सलीन पुत्र श्री बरकत निवासी शेखुपुर मुजाहिदपुर तहसील बेहट जिला सहारनपुर .तथा शपथ पत्र में दिये समस्त तथ्यो से भली भाति परिचित हूं।

2– मै शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मेरे भटठे मै0 (पूर्व नाम गंगा ब्रिक्स फिल्ड) नया किसान ब्रिक्स फिल्ड. से मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशो के अनुकम मे बोर्ड के पंत्राक एच21972 सी–3/वायु 762/सहा–124 दिंनाक 30.12.2024 द्वारा बन्दी आदेश जारी किये गये है। उक्त के अनुपालन में ईट भटठा बन्द है।

3– मै शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मेरा भटठा हाई ड्राफ्ट, आयताकार तकनीकि में परिवर्तित है तथा भटठे पर 30मी0 उंची पक्की चिमनी, पूट हाल,

मुरसलीन

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

—2—

प्लेटफार्म तथा लेडर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में स्थापित हैं।

4— मै शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय से सिविल अपील डायरी नम्बर 18213/2021 में पारित आदेश दिंनाक 08.04.2022 में पारित आदेश के अनुसार भारत सरकार अधिसूचना दिंनाक 22.02.2022 में पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5— मै शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि शपथकर्ता की ईट भटठे से निकलने वाली राख को ईट बनाने मे उसी परिसर के अन्दर ही इस्तेमाल किया जायेगा।

6— मै शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि शपथकर्ता की ईट भटठे मे ईट बनाने के लिये सुनिश्चित करेगे कि कच्चे माल/ईटो के परिवहन के लिये उपयोग की जाने वाली सडके पक्की सडके है।

7— मै शपथ पूर्वक कथन करता हूं किं कच्चे माल/ईटो के परिवहन के दौरान वाहनो को ढका जायेगा।

8— मै शपथ पूर्वक कथन करता हूं किईट भटठे मे अनुमोदित ईधन जैसे कि कोयला, ईधन, लकडी और/या कृषि अपशिष्टो का प्रयोग करेगे। पेटकोक, टायर/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्टो का उपयोग नही किया जायेगा।

9— मै शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि ईट भटठे को प्राप्त सहमति मे अधिरोपित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करूंगा व मा0 न्यायालय एंव मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एंव उ0प्र0 प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10— यह कि धारा 01ता10 तक शपथ कथन पूर्णतः सत्य है तथा मेरे द्वारा कुछ भी छुपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

मुरसलीन

दिंनाक 21.01.2025 शपथकर्ता..............

मुरसलीन

शपथकर्ता..............

NOTARY
JAMSHED ALI
Advocate & Notary
Distt. Saharanpur (U.P.)
Reg. No.-13448/17
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
JAMSHED ALI
Advocate & Notary
Civil Court, Saharanpur
Reg. No.-13448/17

Identified by

प्रकरण– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जनपद सहारनपुर से संबधित है।

सेवा में, दिनांक–20.01.2025

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
जनपद – सहारनपुर

विषयः– मैसर्स किसान ब्रिक फिल्ड (पूर्व नाम मै0 गंगा ब्रिक फिल्ड) स्थित ग्राम चाउपुर, परगना– मुजफ्फराबाद, तह0– बेहट, जनपद–सहारनपुर के विरूद्ध जारी बंदी आदेश को निक्षेप करने के संबध में।

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक बोर्ड के बंदी आदेश पत्र सं0 एच 21972 सी–3/वायु 762/सहा–124 दिनांक 30.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उक्त बंदी आदेश के परिपेक्ष के संबध में मेरी लद्यु इकाई का निरिक्षण जिलाधिकारी महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा गठित समिति के द्वारा दिनांक 15.01.2025 को किया गया तथा निरिक्षण के समय मेरी लद्यु इकाई बंद पाई गई तथा समिति के अधिकारियों द्वारा भट्टे से संलग्न ID फैन, और फैन चलाने वाले दो नग इंजन पर सील लगाई गई।

उपरोक्त के संबध में अब मुझे अवगत कराना है कि मेरी लद्यु इकाई द्वारा वायु प्रदूषण से संबधित सभी औपचारिकताए पूर्ण कर ली गई है। मेरी लद्यु इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 31.07.2023 तक वायु/जल सहमति प्रदान की गई थी। जिसकी सभी शर्तो का मेरी लद्यु ईकाई द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन कर लिया गया है। जैसे मेरा भट्टा पूर्ण रूप से हाई ड्राफ्ट है, तथा चिमनी पर पोर्ट हॉल, प्लेटफार्म व लेडर का निर्माण कर लिया गया है। जिसका छायाचित्र जियो कोर्डिनेट के साथ में संलग्न है। वायु अनुसरन आख्या भी उत्पादन के पश्चात मोनेटरिंग कराकर प्रस्तुत कर दी जायेगी, पुन वायु सहमति हेतु आवेदन पत्र बोर्ड को प्रेसित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार महोदय से निवेदन है कि मेरी लद्यु इकाई का बंदी आदेश निक्षेप कर वायु सहमति प्रदान कर दी जाये।

आपकी महान कृप्या होगी।

धन्यवाद भवदीय

संलग्नक

(1) जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा गठित समिति की जांच आख्या
(2) ईट भट्टे की चिमनी पोर्टहॉल, लेडर, प्लेटफार्म का छायाचित्र
(3) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति की कॉपी

मुरसलीन
मैसर्स किसान ब्रिक फिल्ड
(पूर्व नाम गंगा ब्रिक फिल्ड)
गंव– चाउपुर, तह0– बेहट
जनपद –सहारनपुर
मो0नं07–9627942513

प्रतिलिपि–(1) क्षेत्रीय अधिकारी महोदय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जनपद सहारनपुर

भवदीय
मुरसलीन

मुरसलीन

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जनपद सहारनपुर से संबंधित है।

सेवा में,

दिनांक–20.01.2025

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
जनपद – सहारनपुर

विषयः– मैसर्स किसान ब्रिक फिल्ड (पूर्व नाम मै0 गंगा ब्रिक फिल्ड) स्थित ग्राम चाउपुर, परगना– मुजफ्फराबाद, तह0– बेहट, जनपद–सहारनपुर के विरूद्ध जारी बंदी आदेश को निक्षेप करने के संबध में।

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक बोर्ड के बंदी आदेश पत्र सं0 एच 21972 सी–3/वायु 762/सहा–124 दिनांक 30.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उक्त बंदी आदेश के परिपेक्ष के संबध में मेरी लघु इकाई का निरिक्षण जिलाधिकारी महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा गठित समिति के द्वारा दिनांक 15.01.2025 को किया गया तथा निरिक्षण के समय मेरी लघु इकाई बंद पाई गई तथा समिति के अधिकारियों द्वारा भट्टे से संलग्न ID फैन, और फैन चलाने वाले दो नग इंजन पर सील लगाई गई।

उपरोक्त के संबध में अब मुझे अवगत कराना है कि मेरी लघु इकाई द्वारा वायु प्रदूषण से संबधित सभी औपचारिकताए पूर्ण कर ली गई है। मेरी लघु इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 31.07.2023 तक वायु/जल सहमति प्रदान की गई थी। जिसकी सभी शर्तो का मेरी लघु ईकाई द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन कर लिया गया है। जैसे मेरा भट्टा पूर्ण रूप से हाई ड्राफ्ट है, तथा चिमनी पर पोर्ट हॉल, प्लेटफार्म व लेडर का निर्माण कर लिया गया है। जिसका छायाचित्र जियो कॉर्डिनेट के साथ में संलग्न है। वायु अनुसरन आख्या भी उत्पादन के पश्चात मोनेटरिंग कराकर प्रस्तुत कर दी जायेगी, पुन वायु सहमति हेतु आवेदन पत्र बोर्ड को प्रेसित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार महोदय से निवेदन है कि मेरी लघु इकाई का बंदी आदेश निक्षेप कर वायु सहमति प्रदान कर दी जाये।

आपकी महान कृप्या होगी।

धन्यवाद

भवदीय

संलग्नक
(1) जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा गठित समिति की जांच आख्या
(2) ईट भट्टे की चिमनी पोर्टहॉल, लेडर, प्लेटफार्म का छायाचित्र
(3) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति की कॉपी

मुरसलीन मुरसलीन
मैसर्स किसान ब्रिक फिल्ड
(पूर्व नाम गंगा ब्रिक फिल्ड)
गंव– चाउपुर, तह0– बेहट
जनपद –सहारनपुर
मो0नं07–9627942513

प्रतिलिपि–(1) क्षेत्रीय अधिकारी महोदय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जनपद सहारनपुर

भवदीय
मुरसलीन

सेवा में,

दिनांक–20.01.2025

आदरनीय डॉ० रविन्द्र प्रताप सिंह जी,
अध्यक्ष,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

विषयः– मैसर्स किसान ब्रिक फिल्ड (पूर्व नाम मै0 गंगा ब्रिक फिल्ड) स्थित ग्राम चाउपुर, परगना– मुजफराबाद, तह0– बेहट, जनपद–सहारनपुर के विरूद्ध जारी बंदी आदेश को निक्षेप करने के संबध में।

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक बोर्ड के बंदी आदेश पत्र सं0 एच 21972 सी–3/वायु 762/सहा–124 दिनांक 30.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उक्त बंदी आदेश के परिपेक्ष के संबध में मेरी लघु इकाई का निरिक्षण जिलाधिकारी महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा गठित समिति के द्वारा दिनांक 15.01.2025 को किया गया तथा निरिक्षण के समय मेरी लघु इकाई बंद पाई गई तथा समिति के अधिकारियों द्वारा भट्टे से संलग्न ID फैन, और फैन चलाने वाले दो नग इंजन पर सील लगाई गई।

उपरोक्त के संबध में अब मुझे अवगत कराना है कि मेरी लघु इकाई द्वारा वायु प्रदूषण से संबधित सभी औपचारिकताए पूर्ण कर ली गई है। मेरी लघु इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 31.07.2023 तक वायु/जल सहमति प्रदान की गई थी। जिसकी सभी शर्तो का मेरी लघु ईकाई द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन कर लिया गया है। जैसे मेरा भट्टा पूर्ण रूप से हाई ड्राफ्ट है, तथा चिमनी पर पोर्ट हॉल, प्लेटफार्म व लेडर का निर्माण कर लिया गया है। जिसका छायाचित्र जियो कोंडिनेट के साथ में संलग्न है। वायु अनुसरन आख्या भी उत्पादन के पश्चात मोनेटरिंग कराकर प्रस्तुत कर दी जायेगी, पुन वायु सहमति हेतु आवेदन पत्र बोर्ड को प्रेसित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार महोदय से निवेदन है कि मेरी लघु इकाई का बंदी आदेश निक्षेप कर वायु सहमति प्रदान कर दी जाये।

आपकी महान कृप्या होगी।

धन्यवाद

भवदीय

संलग्नक

(1) जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा गठित समिति की जांच आख्या
(2) ईट भट्टे की चिमनी पोर्टहॉल, लेडर, प्लेटफार्म का छायाचित्र
(3) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति की कॉपी

मुरसलीन
मैसर्स किसान ब्रिक फिल्ड
(पूर्व नाम गंगा ब्रिक फिल्ड)
गंव– चाउपुर, तह0– बेहट
जनपद –सहारनपुर
मो0नं07–9627942513

प्रतिलिपि–(1) जिलाधिकारी महोदय जनपद सहारनपुर
(2) क्षेत्रीय अधिकारी महोदय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जनपद सहारनपुर

भवदीय
मुरसलीन मुरसलीन

सेवा में,   दिनांक--20.01.2025

सदस्य सचिव महोदय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

विषयः-- मैसर्स किसान ब्रिक फिल्ड (पूर्व नाम मै0 गंगा ब्रिक फिल्ड) स्थित ग्राम चाउपुर, परगना-- मुजफ्फराबाद, तह0-- बेहट, जनपद--सहारनपुर के विरूद्ध जारी बंदी आदेश को निक्षेप करने के संबध में।

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक बोर्ड के बंदी आदेश पत्र सं0 एच 21972 सी--3/वायु 762/सहा--124 दिनांक 30.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उक्त बंदी आदेश के परिपेक्ष के संबध में मेरी लद्यु इकाई का निरिक्षण जिलाधिकारी महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा गठित समिति के द्वारा दिनांक 15.01.2025 को किया गया तथा निरिक्षण के समय मेरी लद्यु इकाई बंद पाई गई तथा समिति के अधिकारियों द्वारा भट्टे से संलग्न ID फैन, और फैन चलाने वाले दो नग इंजन पर सील लगाई गई।

उपरोक्त के संबध में अब मुझे अवगत कराना है कि मेरी लद्यु इकाई द्वारा वायु प्रदूषण से संबधित सभी औपचारिकताए पूर्ण कर ली गई है। मेरी लद्यु इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 31.07.2023 तक वायु/जल सहमति प्रदान की गई थी। जिसकी सभी शर्तो का मेरी लद्यु ईकाई द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन कर लिया गया है। जैसे मेरा भट्टा पूर्ण रूप से हाई ड्राफ्ट है, तथा चिमनी पर पोर्ट हॉल, प्लेटफार्म व लेडर का निर्माण कर लिया गया है। जिसका छायाचित्र जियो कॉर्डिनेट के साथ में संलग्न है। वायु अनुसरन आख्या भी उत्पादन के पश्चात मोनेटरिंग कराकर प्रस्तुत कर दी जायेगी, पुन वायु सहमति हेतु आवेदन पत्र बोर्ड को प्रेसित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार महोदय से निवेदन है कि मेरी लद्यु इकाई का बंदी आदेश निक्षेप कर वायु सहमति प्रदान कर दी जाये।

आपकी महान कृप्या होगी।

धन्यवाद   भवदीय

संलग्नक

(1) जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा गठित समिति की जांच आख्या
(2) ईट भट्टे की चिमनी पोर्टहॉल, लेडर, प्लेटफार्म का छायाचित्र
(3) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति की कॉपी

मुरसलीन मुरसलीन
मैसर्स किसान ब्रिक फिल्ड
(पूर्व नाम गंगा ब्रिक फिल्ड)
गंव-- चाउपुर, तह0-- बेहट
जनपद --सहारनपुर
मो0नं07--9627942513

दिनांक–20.01.2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

विषयः– मैसर्स किसान ब्रिक फिल्ड (पूर्व नाम मै0 गंगा ब्रिक फिल्ड) स्थित ग्राम चाउपुर, परगना– मुजफ्फराबाद, तह0– बेहट, जनपद–सहारनपुर के विरूद्ध जारी बंदी आदेश को निक्षेप करने के संबध में।

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक बोर्ड के बंदी आदेश पत्र सं0 एच 21972 सी–3/वायु 762/सहा–124 दिनांक 30.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उक्त बंदी आदेश के परिपेक्ष के संबध में मेरी लद्यु इकाई का निरिक्षण जिलाधिकारी महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा गठित समिति के द्वारा दिनांक 15.01.2025 को किया गया तथा निरिक्षण के समय मेरी लद्यु इकाई बंद पाई गई तथा समिति के अधिकारियों द्वारा भट्टे से संलग्न ID फैन, और फ़ैन चलाने वाले दो नग इंजन पर सील लगाई गई।

उपरोक्त के संबध में अब मुझे अवगत कराना है कि मेरी लद्यु इकाई द्वारा वायु प्रदूषण से संबधित सभी औपचारिकताए पूर्ण कर ली गई है। मेरी लद्यु इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 31.07.2023 तक वायु/जल सहमति प्रदान की गई थी। जिसकी सभी शर्तो का मेरी लद्यु ईकाई द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन कर लिया गया है। जैसे मेरा भट्टा पूर्ण रूप से हाई ड्राफ्ट है, तथा चिमनी पर पोर्ट हॉल, प्लेटफार्म व लेडर का निर्माण कर लिया गया है। जिसका छायाचित्र जियो कोर्डिनेट के साथ में संलग्न है। वायु अनुसरन आख्या भी उत्पादन के पश्चात मोनेटरिंग कराकर प्रस्तुत कर दी जायेगी, पुन वायु सहमति हेतु आवेदन पत्र बोर्ड को प्रेसित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार महोदय से निवेदन है कि मेरी लद्यु इकाई का बंदी आदेश निक्षेप कर वायु सहमति प्रदान कर दी जाये।

आपकी महान कृप्या होगी।

धन्यवाद

भवदीय

संलग्नक

(1) जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा गठित समिति की जांच आख्या
(2) ईट भट्टे की चिमनी पोर्टहॉल, लेडर, प्लेटफार्म का छायाचित्र
(3) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सहमति की कॉपी

मुरसलीन मुरसलीन
मैसर्स किसान ब्रिक फिल्ड
(पूर्व नाम गंगा ब्रिक फिल्ड)
गंव– चाउपुर, तह0– बेहट
जनपद –सहारनपुर
मो0नं07–9627942513

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP58795275601920X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP58795275601920X
Certificate Issued Date	: 21-Jan-2025 03:29 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14419204/ SAHARANPUR SADAR/ UP-SHR
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP14419204146308005103O3X
Purchased by	: MURSLIN SO BARKATE
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: MURSLIN SO BARKATE
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: MURSLIN SO BARKATE
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

NOTARY JAMSHED ALI Advocate & Notary Distt. Saharanpur (U.P.) Reg. No.-13443/17 GOVT. OF INDIA

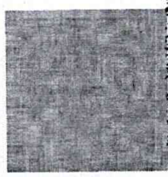

₹100

IN-UP58795275601920X

Please write or type below this line

NOTARY JAMSHED ALI Advocate & Notary Distt. Saharanpur (U.P.) Reg. No.-13443/17 GOVT. OF INDIA

शपथ पत्र

समक्ष– मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

शपथ पत्र और से– मुर्सलीन पुत्र बरकत निवासी ग्राम शेखुपुर मुजाहिदपुर परगना मु0बाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर।

1– मै शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है।

2– कि अपने पत्र सं0– एच21972 सी–3/वायु 762/सहा–124 दिंनाक 30.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसमे माध्यम से हमारे ईट भटठे को बन्दी आदेश जारी किया गया है उक्त आदेशो के अनुपालन में हमारे द्वारा अपने ईट भटठू को जिग–जैग व हाईड्राफ्ट तकनीकि मे परिवर्तित कर लिया गया है तथा भटठे पर पोर्टहॉल, प्लेट फार्म तथा लेडर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वक्षरा पारित आदेशो के अनुपालन मे स्थापित कर लिये गये है। हमारे ईट भटठे को जारी बन्दी आदेश को निक्षेप किया जावे।

ATTESTED

यह कि शपथ पत्र का पैरा 1ता2 निजी ज्ञान मे सब सच व सही है बोलने मे ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथकर्ता........ मुरसलीन

JAMSHED ALI
Advocate & Notary
Civil Court, Saharanpur
13443/17

दिंनाक 21.01.2025

Identified by

शपथकर्ता........ मुरसलीन

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

VAKALATNAMA

OA No. 1328/2024

IN THE MATTER OF: -

ALEEM ....Applicant / Petitioner

VERSUS

MOEF&CC & Ors. ....Defendant (s)/ Respondent(s)

Know all to whom these Present shall come that I / We Mussalin, S/o Barkat, for Resp. No.5 as its partner.

Do hereby appoint **Mr. Pranav Kumar Srivastava & Mr. Lalit Nahar, Advocates,** Sanjay Baranwal Advocate

Mob: 9818760063

Office Address: - A – 123, Second Floor, Phase 2, Ashok Vihar, Delhi - 110052

(Herein after called the advocate/s) to be my / our Advocate in the above – noted case and authorize him / them:-

1. To act, appear and plead in the above-noted case in this court or in any other court in which the same may be tried or heard and also in the appellate court including High Court subject to payment of fees separately for each court by me/us.
2. To sign file, verify and present pleadings, appeals cross-objection or petitions for executions review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subjects to payment of fees for each stage.
3. To file and take back documents, to admit and/or deny the documents of opposite party.
4. To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences of disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.
5. To take execution proceedings on paying separate fee.
6. To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution on the said case.
7. To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.
8. And I/we undersigned to hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purpose.
9. And I/we undertake that I/We or my/our duly authorized agent would appear in court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.
10. And I/We undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.
11. And I/we undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settle is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid, I /We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHERE OF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this 21st Day of March 2025 Accepted subject to the terms of the fees explained to me by the Advocates above named and accepted by me.

Advocate Pranav (D/1765-V/2003)

Client मुस्सलीन Client मुस्सलीन

S.K. Baranwal Adv. D/289-I/2004

L. Nahar (Adv.)

I Identify the Signature/Thumb Impression of Below Mentioned Person.

Signed in My Presence. The Client.